

From

Shri. Ashok Ganguly
Deputy Secretary
U.P Govt.

To

Secretary
Central Board of Secondary Education
District Centre, 2 Community Centre,
Preeti Vihar, New Delhi.

Education (7)Dept.

Lecknow Dt. August 1995.

Sub. ST. THOMAS SCHOOL, SECTOR 4 LAJPAT NAGAR
SAHIBABAD, GHAZIABAD , AFFILIATION TO THE
CBSE - ISSUE OF NO OBJECTION CERTIFICATE
REGARDING.

Sir,

On the above mentioned subject, I am directed to say that subject to the following condition the State Govt. have No objection in granting affiliation by the C B S C to St. Thomas School, sector-4, Lajpat Nagar, Sahibabad.

- (1) The registration of the society which runs the school will be renewed from time to time.
- (2) A nominee of the Director of Education will be appointed to the Governing Body.
- (3) 10% of the seats will be reserved for children of SC/ST and they will not be charged more than the fees payable by them in the schools run by the Board of Secondary Education, Uttar Pradesh.
- (4) The Institution will not seek recognition from the State Govt. If already recognised by the Board of Secondary Education/ Basic Education Board and the school to affiliated to the CBSE / Council for the Indian School Certificate Examination New Delhi; subsequently, the recognition from the State Govt. will automatically be cancelled from the date of affiliation to the above Board/ Council.
- (5) The teaching and non teaching staff will not be paid the pay and allowances less than that paid to Govt. aided schools.
- (6) The service condition of employees will be made and these condition will be comparable to non-Govt. (aided) Higher Secondary School .
- (7) The institution will follow the instruction issued by the State Govt. from time to time.
- (8) The records of the school will be maintained in the prescribed terms/register.
- (9) The above condition will not be altered/reduced or relaxed without the approval of the State Govt.

2. It is also stipulated that there are no untrained teachers in the school and the nursery classes are not conducted by the school ^{the school} is recognised from class I onwards only.
3. The institution has to strictly follow the above condition and if at any time its found that the institution is not following the above conditions or has deviated or relaxed the above condition, the State Govt. shall with draw the + + above permission.

५५५

संख्या- 3612/15-7-1611291/92.

श्री अशोक मांगुली,
एम एचएल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
रिवा केन्द 2 समूह, केन्द,
प्रतिष्ठ विहार, नई दिल्ली

विद्या 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक:

अगस्त, 1995.

विषय:- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद-4, लाजपतनगर, ताहिवाबाद, नाभियाबाद को तोषवी0परत0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह ज्ञान का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद-4, लाजपतनगर, ताहिवाबाद, नाभियाबाद को तोषवी0परत0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है ।

- 111- विद्यालय को परीक्षा तैयारी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किये गए विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141- तैयारी द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किये गए विद्यालयों में प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्थगित किया जायेगा ।
- 151- तैयारी के लिए पूर्व निर्धारित कक्षा रीटों को राजकीय तृतीयक प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से कक्षा रीटों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161- कक्षा रीटों की सेवा भी बनायी जायेगी और उन्हें तथाका प्राप्त अनापत्ति उपचार माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा रीटों को अनुमन्य तैयारिपूर्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तैयारी उनका पालन करेगी ।
- 181- विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रश्न/संख्याओं में रखा जायेगा ।
- 191- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्रानुमोदन के बिना कोई परीक्षा/परीक्षण या परीक्षण नहीं किया जाये ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैयारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति अर्धरत नहीं है तथा नारी कक्षा में तैयारिपूर्ति नहीं है । यह विद्यालय का-1 से मान्य किया जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की छूट या विभ्रलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा ।

आदीय,

।उसीक गुंती।
उप सचिव ।

संख्या- 3612111/15-7-1611291/92, तददिनांक

प्रतिनिधि विभागों को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०५०, लखनऊ
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, नाबिवाबाद
- 4- निरीक्षक, उच्च भारतीय विद्यालय, उ०५०, लखनऊ
- 5- प्रबन्धक, सेन्ट थॉमस स्कूल, ५ ताजपत्तनगर, ता बिवाबाद, नाबिवाबाद ।

आज्ञा है,

।उसीक गुंती।
उप सचिव ।

प्रबन्धक,

उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
18 पाके रोड,
झिपिर कार्यालय,
लखनऊ ।

पत्रांक/मा0/

193-94 दिनांक: 29/9/93

विषय:- सेन्ट थामस स्कूल, गुमेरी यादवपुरा, सेक्टर-4 लाजपतनगर, ताहिबाबाद,
गाजियाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता
हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना

महोदय,

निवेदन है कि सेन्ट थामस स्कूल, गाजियाबाद ने सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ
सेकेंडरी एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हेतु
उत्तर प्रदेश शासन से आवेदन पत्र किया है । दिनांक 21/08/1993 को विद्यालय
का स्थलीय निरीक्षण कर जांच आख्या संग्रह कर प्रेषित की जा रही है ।

संग्रह:- उक्तका

अवधीय

डा0 [अरुणपीठयानी]
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पू0 सं/मा0/ 19653-55 /93-94 उही तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-7, अनुभाग, लखनऊ ।
- 2- प्रबंधक, प्राधानायाय, सेन्ट थामस स्कूल, सेक्टर-4 लाजपतनगर, ताहिबाबाद
[गाजियाबाद] ।

डा0 [अरुणपीठयानी]
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

Ar. Singh

दोरा/1993

पुंषक,

उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
18 पार्क रोड,
शिबिर कार्यालय,
लखनऊ ।

पत्रांक/मा०/

193-94 दिनांक: 29/9/93

विषय:- सेन्ट थामस स्कूल, गौरी माध्यम, सेक्टर-4 लाजपतनगर, ताहिबाबाद,
गाजियाबाद की सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धता
हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना
=====

महोदय,

निवेदन है कि सेन्ट थामस स्कूल, गाजियाबाद ने सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ
सेकेण्डरी एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हेतु
उत्तर प्रदेश शासन से आवेदन पत्र किया है । दिनांक 21/08/1993 को विद्यालय
का स्थानीय निरीक्षण कर जांच आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्न:- उक्त पत्र

प्रबन्धीय

डा० [आर०पी०] [...]
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पु० सं०/मा०/ 1965 5 55 /93-94 उती तिथि को ।

प्रतिरूपि निम्नांकित को सपनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-7, अनुभाग, लखनऊ ।
- 2- प्रबंधक, प्राधानायाय, सेन्ट थामस स्कूल, सेक्टर-4 लाजपतनगर, ताहिबाबा
गाजियाबाद ।

डा० [आर०पी०] [...]
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

[Handwritten signature]

बोर/1993

प्रिय शाकिर अली जी,

मैं यह प्रार्थना पत्र सेंट थॉमस आपोजिम्स चर्च सोसायटी { रजि० } गाजियाबाद की सी० बी० एस० इ० से मान्यता के लिए आपके एन० ओ० सी० के लिए प्रेषित कर रहा हूँ, जिसकी फाइल आपकी मान्यता के लिए आपके आफिस में ही है।

सेंट थॉमस स्कूल आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने में समर्थ हूँ और अगर इसे सी० बी० एस० इ० से मान्यता नहीं मिली तो इस करीब 1500 विद्यार्थी व उनके अभिभावक परेशान होंगे।

अतः आशा है कि उपरोक्त स्कूल की सी.बी.एस.इ. से मान्यता के लिए आप शीघ्र ही एन. ओ. सी. प्रदान करेंगे।

धन्यवाद

शी शाकिर अली,
शिक्षा मन्त्री,
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ।

{ के० सी० त्यागी }

5/88

संख्या- 3612/15-7-1611291/92.

श्री अशोक मांझरी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा सं.

राज्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
द्वितीय केन्द्र 2 समूहाय केन्द्र,
प्रतिष्ठान बिहार, नई दिल्ली।

दिनांक 17/8 अनुमान

संज्ञक: दिनांक: 21 जनवरी, 1995.

विषय:- केन्द्र धारण स्कूल तेरहट-4 ताजवातनगर, साहिवाबाद, नाजिवाबाद को ली०पी०एन०ई०, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि केन्द्र धारण स्कूल तेरहट-4, ताजवातनगर, साहिवाबाद, नाजिवाबाद को ली०पी०एन०ई०, नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है ।

- 111- विद्यालय को परीक्षा तोताहटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121- विद्यालय की प्रबन्धन समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठान स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गवासी के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित विद्यालयों में आयोजित कक्षाओं के लिए नियमित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141- संस्था द्वारा राज्यसरकार के किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय शिक्षा परिषद से सम्बन्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केंद्रीय शिक्षा परिषद से प्राप्त है तो उसे वरीयता परीक्षाओं में सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बन्धता तथा राज्य सरकार के अनुदान तथा सम्पत्ति हो जायेगी ।
- 151- संस्था के शिक्षक एवं शिक्षितर कर्मचारियों को राजकीय क्वालिफा प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भातों से कम वेतनमान तथा अन्य भातों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161- कर्मचारियों की सेवा ही बनायी जायेगी और उन्हें तथाकथान प्राप्त अनापत्तीय उपकरण माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतानियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181- विद्यालय का रिकार्ड नियमित प्रबन्ध/परिष्कारों में रखा जायेगा ।
- 191- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जाये ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा एक सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अनुसूचित आवाधिकारों आवश्यक नहीं है तथाकारी कक्षाये विद्यालय में स्थापित नहीं है । यह विद्यालय का-1 से मान्य किया जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धी का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धी का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार का छूट या विचलन बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुनः अनाधिकृत प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा ।

भवदीय,

६ -

।उद्योग मंत्राली।
उप सचिव ।

प्रतिक्रिया संकेतित

29. 2. 85

संख्या- 3612111/15-7-1611291/92, तददिनांक

प्रतिसिद्धि निम्नलिखित दो सूचनायें एवं आवश्यक कागजाती हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, नाबिदाबाद
- 4- निरीक्षक, अग्नि भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ
- 5- प्रबन्धक, सैन्य पोस्ट स्कूल, 4 ताकतनगर, ता बिदाबाद, नाबिदाबाद ।

जाह्न से,

६ -

।उद्योग मंत्राली।
उप सचिव ।

पृष्ठ

संख्या- 3612/15-7-1611291/92.

श्री इंदीक गांधी,
उप विधि,
उत्तर प्रदेश शासन ।

मेधा में,

विधि,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
कक्षा केन्द्र 2 मकान केन्द्र,
प्रति विचार, नई दिल्ली

विद्या 171 अनुमान

संख्या: दिनांक: 2) अगस्त, 1995.

विषय:- केन्द्र प्रामाण्य स्कूल केन्द्र-4, माजरा नगर, साहिबाबाद, माजराबाद की सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु उपाचारिता प्रश्नों पर दिने जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह पत्रने का निदेश हुआ है कि केन्द्र प्रामाण्य स्कूल केन्द्र-4, माजरा नगर, साहिबाबाद, माजराबाद की सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

- 111- विद्यालय की सी.बी.एस.सी. की तमय अवयव पर नवीनीकरण करण बाधना ।
- 121- विद्यालय की प्रमुख भूमि में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक तटस्थ होना ।
- 131- विद्यालय में जो भी एक दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गजाति के वर्गों के लिए सुरक्षित रहने और उन्हीं उत्तर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार विद्यालयों में विद्यमान छात्रों के लिए नियमित हल्क से अधिक हल्क नहीं किया जायेगा ।
- 141- शिक्षा द्वारा अनुसूचित जाति के शिक्षा अनुदान को खर्च नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बिना शिक्षा परिषद से भण्डार प्राप्त है तो विद्यालय की सम्बन्धता राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केंद्रित कर दि. प्रेषित स्कूल तैयारिष्ठ प्रस्तावित, नई दिल्ली से प्रेषित होती है तो उस परीक्षा परिषद से सम्बन्धता प्रदान होने से विधि से परिषद से भण्डार तथा राज्य सरकार से अनुदान तथा तैयार ही जायेगी ।
- 151- शिक्षा परिषद एवं विद्येतर कर्मचारियों को राजकीय मुद्रा तथा प्राप्त शिक्षा विभागों के कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के वर्ग प्रदान तथा अन्य नहीं किये जायेंगे ।
- 161- शिक्षा विभागों को शिक्षा परीक्षा परीक्षा और उन्हीं तैयार प्राप्त अनुसूचित वर्ग उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग प्रदान कराये जायेंगे ।
- 171- राज्य सरकार द्वारा कत तमय पर भी आदेश विधि किये जायेंगे, तबत उनका पालन करेगी ।
- 181- विद्यालय का रिजर्व नियमित प्रश्न/परिष्कारों में रहा जायेगा ।
- 191- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्राधिकार के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन का परिष्कार नहीं किया जाये ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होता कि शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय में अनुसूचित वर्ग/अनुसूचित वर्गों का प्रवेश नहीं है तबत कतरी छात्रों विद्यालय में तैयार नहीं है । यह विद्यालय छात्र-1 के नाम पर किया जाये ।

2- उक्त प्रतिष्ठानों का नामन करना करना के लिए इन्वॉयट होना और यदि किसी समय यह राखा जाता है कि होना द्वारा उक्त प्रतिष्ठानों का नामन नहीं किया जा रहा है अपना नामन करने में किसी प्रकार की वृत्त या विधिगत कमी या रही है तो राख्य सरकार द्वारा मुदत अनिश्चित प्रमाण पर कायम के लिए शर्तित ।

अधीन,

1
उपरीक संकेतों।
उप कायम ।

संख्या- 3612911/15-7-1601291/92, नदरिनाई

प्रतिष्ठान विभागों की सूची एवं आचार्य कायदा की उक्त प्रतिष्ठान:-

- 1- शिक्षा विभाग, उज्जैन, म.प्र.
- 2- महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
- 3- शिक्षा विभाग विभाग, मा विभाग
- 4- शिक्षा, उच्च भारतीय विद्यालय, उज्जैन, म.प्र.
- 5- प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, 6 माध्यमिक, मा विभाग, मा विभाग ।

अधीन,

Signature

उपरीक संकेतों।
उप कायम ।

2

3612/15-2

की सेवा के लिये



श्रीमान
श्रीमान श्रीमान श्रीमान
श्रीमान श्रीमान श्रीमान
श्रीमान श्रीमान श्रीमान